बिहार सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग,
कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना–800 014

संख्या–वन भू0अप0/27/2017-228

प्रेषक,

अरविन्दर सिंह, भा०व०से०,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

श्री चरणजीत सिंह,
वैज्ञानिक डी0,
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय,
(वन संरक्षण प्रभाग),
इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज,
जोरबाग रोड़, नई दिल्ली 110 003 **पटना, दिनांक– 04/04/2024**

Sub:- Inter order dated 19.02.2024 passed by the Hon'ble Suprem Court in the W.P (C) No. 1164/2023 in the matter of Shri Ashok Kumar Sharma vs. Union of India and other and other connected matters-reg.

प्रसंग – भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र दिनांक 02.03.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में सूचित करना है कि बिहार–झारखंड विभाजन के पूर्व बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या वन्यप्राणी (मु0) 83/96–297 व0प0 दिनांक 27.01.1997 द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्गत आदेश के आलोक में अधिसूचित वन क्षेत्र के बाहर ''वनों'' के पहचान हेतु विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था।

उक्त समिति के अध्यक्ष आयुक्त–सह–सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक 100 दिनांक 21.07.1997 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्रतिवेदन वन एवं पर्यावरण विभाग, बिहार को समर्पित किया गया था, जो उस समय तक उपलब्ध सूचनाओं पर आधारित था जो इस पत्र के साथ संलग्न है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 19.02.2024 को पारित आदेश के अनुपालन में अधिसूचित वन क्षेत्र के बाहर ''वनों'' के पहचान हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार से अनुरोध किया जा रहा है।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

(signature) 4/4/24

(अरविन्दर सिंह)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

फोन न०–08986153145 ई–मेल apccfcampa.bih@gmail.com

Annex-3

पत्र सं०-100 -

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

एस०एन०पी०एन० सिन्हा,

आयुक्त एवं सचिव।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,

वन तथा पर्यावरण विभाग,

बिहार, पटना।

विषय:- माननीय उच्चतम न्यायालय का अंतरिम आदेश - वन भूमि की पहचान।

महाशय, [illegible] बिहार में ऐसी सरकारी जमीन जो अभिलेखों में जंगल-झाड़ी [illegible] के रूप में दर्ज है परन्तु किसी प्रकार के वन [illegible] में अधिसूचित नहीं है, [illegible] जिलावार [illegible] संलग्न है। अब तक [illegible] समेकित कराई जा रही है।

विश्वासभाजन,

ह०/- 9.7.97

(एस०एन०पी०एन० सिन्हा)

आयुक्त एवं सचिव।

अनु०: यथोपरि।

क्रमांक	जिला का नाम	बिहार सरकार की भूमि जो अभिलेख में (वन भूमि के अलावा) जंगल/झाड़ी दर्ज है (एकड़ में)
1-	गढ़वा ✓	16426.95
2-	पलामू ✓	200011.99
3-	पूर्वी सिंहभूम ✓	18095.73
4-	पश्चिमी सिंहभूम ✓	36749.68
5-	लोहरदगा ✓	7793.19
6-	गुमला ✓	20918.77
7-	राँची ✓	19820.99
8-	बोकारो ✓	7039.67
9-	चतरा ✓	29118.50
10-	धनबाद ✓	6162.78
11-	गिरिडीह ✓	19598.45
12-	हजारीबाग ✓	21438.58
13-	साहेबगंज ✓	998.55
14-	[illegible]	1966.43
15-	देवघर	5874.45
16-	दुमका ✓	47524.48
17-	जमुई	6513.47
18-	बाँका	6274.13
19-	भागलपुर	2892.35
20-	नवादा	7345.57
21-	गया	36154.28
22-	भभुआ	8917.17
23-	रोहतास	4796.70
24-	बक्सर	5760.55
25-	नालंदा	2005.45
26-	भोजपुर	2822.95

458,639.19 Ac

542121.81

8-14516

1-		3-
		54421·81
27-	मुंगेर	6133·98
28-	बेगूसराय	859·99
29-	खगड़िया	403·70
30-	सहरसा	362·35
31-	मधेपुरा	1365·30
32-	सुपौल	103·90
33-	समस्तीपुर	1333·10
34-	मधुबनी	209·90
35-	दरभंगा	1400·00
36-	पूर्वी चंपारन	10403·90
37-	पश्चिमी चंपारन	16639·30
38-	वैशाली	163·50
39-	सीतामढ़ी	229·30
40-	मुजफ्फरपुर	483·90
41-	गोपालगंज	387·30
42-	सिवान	217·90
43-	सारन	[illegible]
44-	औरंगाबाद	[illegible]
45-	[illegible]	[illegible]
46-	पटना	555·75
47-	पूर्णिया	3757·57
48-	किशनगंज	1760·90
49-	अररिया	3111·10
50-	कटिहार	879·79

598375·10 एकड़

अर्जा 942257·125 हे.क्टर

क्रम संख्या	जिला का नाम	बिहार सरकार की भूमि जो अभिलेख में (वन भूमि के अलावा जंगल/झाड़ी दर्ज है) (रकवा एकड़ में)	
1	गढ़वा	16426.95	
2	पलामू	200011.99	
3	पूर्वी सिंहभूम	18095.73	
4	पश्चिमी सिंहभूम	36749.68	
5	लोहरदग्गा	7793.19	
6	गुमला	20918.77	
7	राँची	19820.99	
8	बोकारो	7039.67	
9	चतरा	29118.50	
10	धनवाद	6162.78	
11	गिरिडीह	19598.45	
12	हजारीबाग	21438.58	
13	साहेबगंज	998.55	
14	गोड्डा	1066.13	
15	देवघर	5874.45	
16	दुमका	47524.48	**458638.89**
17	जमुई	6513.47	
18	बाँका	6274.13	
19	भागलपुर	2892.35	
20	नवादा	7345.57	
21	गया	36154.28	
22	भभुआ	8917.17	
23	रोहतास	4796.70	
24	बक्सर	5760.55	
25	नालंदा	2005.45	
26	भोजपुर	2822.95	**83482.62**
27	मुंगेर	6133.98	
28	बेगूसराय	850.90	
29	खगड़िया	403.70	
30	सहरसा	362.35	
31	मधेपुरा	1365.30	
32	सुपौल	103.90	
33	समस्तीपुर	1333.10	
34	मधुबनी	209.90	

35	दरभंगा		1400.00
36	पूर्वी चम्पारण		10403.90
37	पश्चिमी चम्पारण		16639.30
38	वैशाली		103.50
39	सीतामढ़ी		229.30
40	मुजफ्फरपुर		483.90
41	गोपालगंज		387.20
42	सीवान		277.90
43	सारण		404.58
44	औरंगाबाद		4993.60
45	जहानाबाद		101.57
46	पटना		555.75
47	पूर्णियाँ		3757.57
48	किशनगंज		1760.90
49	अररिया		3111.10
50	कटिहार		879.70
कुल			**598374.41**

कार्यालय - प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची ।

पत्रांक:- 354(A)

प्रेषक,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

सरकार के सचिव,
वन एवं पर्यावरण विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची ।

राँची, दिनांक:- 18-8-02

विषय :- माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट याचिका सं0 202/95 में पारित आदेश के कार्यान्वयन के संबंध में ।

उप विषय :- राज्य के अंदर सभी प्रकार के वन, अवकृष्ठ/उजड़े/ साफ किये गये वन तथा निजी एवं सरकारी भूमि पर वृक्षारोपण क्षेत्रों की पहचान संबंधी गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा विवरणी उपलब्ध कराने के संबंध में ।

प्रसंग :- झारखण्ड सरकार, वन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना सं0 वन्य प्राणी (मुक0)-12/2000-2520 व0प0 दिनांक 26.7.2001

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में ज्ञातव्य है कि राज्य गठन के पूर्व बिहार सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना सं0 वन्य प्राणी (मुक0) 83/96-297 व0प0 दिनांक 27.1.97 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्गत आदेश के आलोक में "वनों" के पहचान हेतु विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था । उक्त समिति के अध्यक्ष आयुक्त-सह-सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अपने पत्रांक 100 दिनांक 21.7.97 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्रतिवेदन वन एवं पर्यावरण विभाग को समर्पित किया था, जो उस समय तक उपलब्ध सूचनाओं पर आधारित था । यद्यपि इस प्रतिवेदन के आधार पर बिहार सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रतिशपथ पत्र दायर किया गया था तथापि यह भी न्यायालय के समक्ष समर्पित किया गया था कि उक्त विशेषज्ञ समिति को पूर्ण जाँचोपरांत विस्तृत प्रतिवेदन समर्पित करने का अनुरोध किया गया है ।

कृ0पृ0उ0

राज्य विभाजन के उपरांत प्रसंगाधीन अधिसूचना द्वारा एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है ।

उल्लेखनीय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केन्द्रीय प्राधिकृत समिति का गठन किया गया है जो इस मामले के अलावा अन्य मामलों पर सुनवाई कर अपना मंतव्य माननीय न्यायालय को उपलब्ध कराएगा ।

इस संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि झारखण्ड सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई कार्रवाई की सूचना के अभाव में उक्त समिति के समक्ष सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने में कठिनाई महसूस की जा रही है । अतः अनुरोध है कि इस विषय पर आयुक्त-सह-सचिव, राजस्व, भूमि-सुधार एवं निबंधन से शीघ्र प्रगति प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु अनुरोध करने की कृपा की जाय ।

विश्वास भाजन,

18.8.0?

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची ।